न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –282/2024
अनवान : –

1. हरीश चन्द्र पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

2. भागीरथ पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 228/207 के खसरा न0 721/7 की 1.8690 हैक्ट भूमि वादी के भाई मृतक दुर्गादत पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

दुर्गादत पुत्र निकुराम का दिनांक 26.06.2012 को स्वर्गवास हो चुका है दुर्गादत पुत्र निकुराम का नाम उक्त वाद भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी। वादी के पिता निकुराम पुत्र खेताराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 31.01.2002 को एक वसीयत की थी वसीयत के अनुसार वादी के पिता ने अपनी संतानों को अलग अलग मकान व रिहायशी मकान दिये। वसीयतकर्ता ने वसीयत में तहरीर किया है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक समस्त सम्पति का मालिक मैं स्वयं रहूँगा तथा मेरे बाद वसीयत के अनुसार मेरे पुत्र पुत्रिया वसीयत के अनुसार मालिक होगे। वसीयत में दर्ज किया है कि मेरे पुत्र दुर्गादत को हासिल भूमि दुर्गादत के स्वर्गवास के बाद उसके भाई भागीरथ व हरिशचन्द मालिक होगे। उक्त वसीयत वादी के पिता निकुराम पुत्र खेताराम की अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाहन शिव भगवान पुत्र भागीरथ तिवाड़ी जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 14 नोहर व किशनलाल पुत्र कुंजीलाल अग्रवाल साहेवाला साकिन नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किया था तथा उक्त वसीयत उप पंजीयक नोहर से दिनांक 06.02.2022 को पंजीकृत है। दुर्गादत के लावल्द स्वर्गवास के उपरान्त मुताबिक वसीयत वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज चले आ रहे हैं। इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वादी ने किशनलाल पुत्र कुंजीलाल अग्रवाल सोहवाला ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। हारून अली पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर व इलियास पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है तथा वसीयतकर्ता अविवाहित फौत हो चुका है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 228/207, रजिस्टर्ड वसीयत की चित्रप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र निकुराम, मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्गादत, मृत्युप्रमाण पत्र शिवभगवान तिवाड़ी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुर्गादत के नाम दर्ज है। दुर्गादत पुत्र निकुराम का दिनांक 26.06.2012 को स्वर्गवास हो चुका है दुर्गादत पुत्र निकुराम का नाम उक्त वाद भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी। वादी के पिता निकुराम पुत्र खेताराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 31.01.2002 को एक वसीयत की थी वसीयत के अनुसार वादी के पिता ने अपनी संतानों को अलग अलग मकान व रिहायशी मकान दिये। वसीयतकर्ता ने वसीयत में तहरीर किया है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक समस्त सम्पति का मालिक मैं स्वयं रहूँगा तथा मेरे बाद वसीयत के अनुसार मेरे पुत्र पुत्रिया वसीयत के अनुसार मालिक होगे। वसीयत में दर्ज किया है कि मेरे पुत्र दुर्गादत को हासिल भूमि दुर्गादत के स्वर्गवास के बाद उसके भाई भागीरथ व हरिशचन्द मालिक होगे। उक्त वसीयत वादी के पिता निकुराम पुत्र खेताराम की अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाहन शिव भगवान पुत्र भागीरथ तिवाड़ी जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 14 नोहर व किशनलाल पुत्र कुंजीलाल अग्रवाल साहेवाला साकिन नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किया था तथा उक्त वसीयत उप पंजीयक नोहर से दिनांक 06.02.2022 को पंजीकृत है। दुर्गादत के लावल्द स्वर्गवास के उपरान्त मुताबिक वसीयत वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज चले आ रहे है। ... की उपस्थित में उप पंजीयक नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा पंजीकृत है। अतः मुताबिक वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 228/207 के खसरा न0 721/7 की 1.8690 हैक्ट भूमि वादी के भाई मृतक दुर्गादत पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत वादी के पिता निकुराम पुत्र खेताराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 31.01.2002 को एक वसीयत की थी वसीयत के अनुसार वादी के पिता ने अपनी संतानों को अलग अलग मकान व रिहायशी मकान दिये। वसीयतकर्ता ने वसीयत में तहरीर किया है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक समस्त सम्पति का मालिक मैं स्वयं रहूँगा तथा मेरे बाद वसीयत के अनुसार मेरे पुत्र पुत्रिया वसीयत के अनुसार मालिक होगे। वसीयत में दर्ज किया है कि मेरे पुत्र दुर्गादत को हासिल भूमि दुर्गादत के स्वर्गवास के बाद उसके भाई भागीरथ व हरिशचन्द मालिक होगे। वसीयत के गवाहान द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है की उक्त वसीयत सही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 228/207 के खसरा न0 721/7 की 1.8690 हैक्ट भूमि दुर्गादत पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में दुर्गादत पुत्र निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –282 / 2024

अनवान : –

1. हरीश चन्द्र पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

2. भागीरथ पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 282 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 228 / 207 के खसरा न0 721 / 7 की 1.8690 हैक्ट भूमि दुर्गादत पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में दुर्गादत पुत्र निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/24 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested